

पत्रांक मु.स. 24/02

राजी, दिनांक 28-07-2002

प्रेषक,
सरयू राय, स.वि.प.
अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य में लोक उपक्रमों के
गठन संबंधी नीति के लिये परामर्शदातृ समिति

सेवा में
श्री जी. कृष्णन,
मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार, रांची

विषय- लोक उपक्रमों के गठन संबंधी नीति प्रारूप तैयार करने के बारे में,

महोदय,

इस विषय में कृपया दिनांक 08-06-2002 को प्रेषित मेरे पत्र का कृपया स्मरण करेंगे, जो विकास आयुक्त के रूप में आपको प्रेषित है। इस पत्र में मैंने अनुरोध किया था कि परामर्शदातृ समिति ने प्रासंगिक जानकारियां एकत्र करने का कार्य पूरा कर लिया है। अतः इस माह के अन्त तक नीति प्रारूप सरकार को सौंप दिया जाना श्रेयस्कर होगा। तदुपरान्त समिति की एक बैठक 06-06-2002 को हुई जिसमें निर्णय हुआ कि अबतक हुए विमर्श के आलोक में ड्राफ्ट रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर तैयार कर लिया जायेगा।

आपको स्मरण होगा कि कुछ दिन पहले दिनांक 06-06-2002 को माननीय उच्चन्यायालय ने इस बारे में एक फैसला दिया है जो रांची से प्रकाशित समाचार पत्रों में दिनांक 06-06-2002 को प्रकाशित हुआ है। समाचारों से प्रतीत होता है कि माननीय उच्चन्यायालय ने तान माह के भीतर समिति से रिपोर्ट देने की अपेक्षा की है और कहा है इस अवधि में रिपोर्ट नहीं सौंपी जाने पर समिति को भंग मान लिया

जायेगा। आपको स्मरण होगा कि जिस दिन समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई थी उसके अगले दिन आपसे मिलकर मैंने इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था परन्तु अबतक इस विषय में किसी प्रगति की सूचना मुझे नहीं है।

मेरे साथ समस्या है कि अध्यक्ष नामित होने के बावजूद न तो समिति के बैठने और न तो कार्य करने के लिये कोई स्थान नियत है और न किसी प्रकार की सचिवालयीय सुविधाये ही समिति के लिये चिन्हित हुई हैं। ऐसी स्थिति में या तो सरकार ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कराने की व्यवस्था समिति को उपलब्ध कराये या मैं स्वयं अपनी ओर से आवश्यक व्यवस्था कर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर दूँ और समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर दूँ। इसके लिये भी आवश्यक होगा कि अबतक हुये विमर्श और एकत्र दस्तावजों की प्रति मुझे मुहैया करा दिया जाय। एक अन्य विकल्प यह भी है कि समिति प्रतिवेदन तैयार करने का अपना दायित्व पूरा नहीं करे और न्यायालय के निर्देशानुसार स्वतः भंग हो जाने की प्रतीक्षा करे।

आपसे अनुरोध है कि सरकार क्या विकल्प अपनाना चाहती है इस बारे में मुझे सूचित करने का कष्ट करेंगे। अगर यह सूचना मुझे इस माह के अन्त तक प्राप्त हो जाय तो कृपा होगी, ताकि मैं उपरोक्त विकल्पों के संबंध में अपने स्तर से योग्य निर्णय ले सकूँ।

सधन्यवाद,

भवदीय

(सरयू राय)